UPBJ010088682023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) –** UP06074

सेशन्स केस संख्या 1922/2023

सरकार **बनाम** **शमीउल्ला आदि**

आरोप

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्तगण **शमीउल्ला, बिरमो व परवेज पाशा** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 20.07.2020 को समय 09:00 बजे सुबह स्थान ग्राम करौंदा चौधर थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा अखलेश कुमार व उसकी पत्नी को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **323/34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा अखलेश कुमार व उसकी पत्नी को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादी मुकदमा अखलेश कुमार व उसकी पत्नी को अपमानित करने के आशय से मारपीट कर गन्दी–2 गालियॉ यह जानते हुए दी कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(1)द** एस.सी./एस. टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा अखलेश कुमार व उसकी पत्नी को मारपीट कर गन्दी–2 गालियॉ यह जानते हुए दी

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2024.03.06 16:52:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(1)ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 06–03–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 06–03–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

UPBJ010088682023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 1922/2023

सरकार बनाम शमीउल्ला आदि

<u>06–03–2024</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण **शमीउल्ला, बिरमो व परवेज पाशा** मय विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण शमीउल्ला, बिरमो व परवेज पाशा को परिवाद मामले में आहूत किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्तगण शमीउल्ला, बिरमो व परवेज पाशा के विरूद्व धारा 323/34, 504 भा0द0स0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 06–03–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण शमीउल्ला, बिरमो व परवेज पाशा के विरूद्व धारा 323/34, 504 भा0द0स0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 16–04–2024 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 06–03–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।